

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारा (राज.)**

क्र.सं./प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
14/021	136 L Act	क.प.एल	दंडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
हीरालाल	बनाम	सरकार	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

2/3/21  
अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गण को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 5/4/21 को पेश हो।

*(Signature)*

5/4/21  
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसील दार इत्यादि से जाकर अभिभाषक पुनः तहसील दार इत्यादि के लिखी जाके वादत जावे। रिपोर्ट फांक्ट दिनांक 12/5/21 को पेश हो।

*(Signature)*

12/5/21  
कारोना संक्रमण आम जनता के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 12/5/21 को पेश हो।

*(Signature)*  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

15/6/21  
कारोना संक्रमण आम जनता के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 20/7/21 को पेश हो।

*(Signature)*  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

20/7/21  
कारोना संक्रमण आम जनता के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 25/8/21 को पेश हो।

*(Signature)*  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

25/11

पत्रावली Covid-19 के कारण पूर्ववत स्थिति में प्रेष  
हुई। बकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट  
पत्रावली नहीं। समय — जाड़ा है। वास्ते पत्रावली रिपोर्ट  
पत्रावली दिनांक 6/11/21 को प्रेषा है।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कोलोअप शिविर वृत्त स्तरीय वृत्त  
वापचा श्री.पन्नीपत कोपन्चा

3/12

पत्रावली प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 के वृत्त  
स्तरीय कोलोअप केम्प शिविर गाँव पंचायत वापचा  
पर प्रेषा हुई। प्रार्थी गण द्वारा प्रार्थनी अन्तर्गत वारा  
भूराबलक अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत न्यायालय  
में प्रार्थना प्रेषित किया कि ग्राम रुपारेल तहसील इकाई  
में जमावेदी सम्मत 2075 से 2078 के खाता संख्या 68 में  
प्रार्थी का नाम हीरा व पिता का नाम श्रीया शशुध दर्ज है  
जिसे हीरा के स्थान पर हीरालाल एवं पिता श्रीया के  
स्थान पर श्रीलाल शूध करने की कृपा करें। प्रकरण  
दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार इकाई से  
रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार इकाई से रिपोर्ट प्राप्त हुई।  
तहसीलदार इकाई ने अपनी रिपोर्ट में बताया  
कि ग्राम रुपारेल की जमावेदी सम्मत 2075-2078 के  
खाता संख्या 68 में प्रार्थी का नाम नामा 136 दिनांक  
22/6/89 से जय कोली नामाकरण दर्ज हुआ जिसमें  
हीरा पुत्र श्रीया दर्ज है। मजमे आक में जानकारी करने पर  
हीरा व हीरालाल को श्रीया व श्रीलाल को एक ही नाम  
से जानते हैं। दस्तावेजों की जांच करने पर श्री हीरा के स्थान  
पर हीरालाल एवं श्रीया के स्थान पर श्रीलाल होना पाया  
गया है। अतः प्रार्थी का नाम हीरा के स्थान पर हीरालाल  
एवं पिता श्रीया के स्थान पर श्रीलाल दर्ज किये जाने  
की अनुशंसा की जाती है।

मुताबिक तहसीलदार इकाई की रिपोर्ट  
के आधार पर ग्राम रुपारेल के खाता संख्या 68 में

प्राथमिक आगत होरा के स्थान पर होरा लाल एवं  
 पिता श्रीधा के स्थान पर श्री लाल राजस्व रिकार्ड  
 में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार इकाई को  
 दिये जाते हैं। आदेश तहसीलदार प्रथम से जारी  
 है। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रिकार्ड में  
 अमल दस्तावेज करें। पञ्जीकृत केशव कुमार होकर  
 तहसीलदार हैं।

**उपखण्ड अधिकारी**  
**उबड़ा जिला बरी (राज.)**